प्रेस नोट जनपद मुरादाबाद

श्री सतपाल अंतिल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु आज दिनांक **03-06-2025** को जनपद मुरादाबाद से निम्न कार्यवाही की गयीः-

1-थाना कोतवाली पुलिस द्वारा 01 वारंटी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशानुसार, अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण तथा वांछित/वारंटी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 03.06.2025 को थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा वारंटी असलम पुत्र हामिद मियां अंसारी निवासी लाजपत नगर थाना कटघर जनपद मुरादाबाद सम्बन्धित मु0नं0 2608/14 अ0सं0 9897/01 धारा-411 भादवि0 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया

गिरफ्तार वारंटी-

असलम पुत्र हामिद मियां अंसारी निवासी लाजपत नगर थाना कटघर जनपद मुरादाबाद।

2-जनपदीय पुलिस द्वारा शांति व्यवस्था भंग करने में 16 व्यक्तियों को हिरासत में लेकर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशानुसार अपराध नियंत्रण, कानून एवं शान्ति व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत जनपदीय पुलिस द्वारा 16 व्यक्तियों को संज्ञेय अपराध कारित करने से रोकने एवं परिशान्ति कायम रखने हेतु अन्तर्गत धारा-170/126/135 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 में हिरासत में लेकर माननीय न्यायालय भेजा गया।

थाना मझोला-04, थाना भोजपुर-02, थाना बिलारी-04, थाना मैनाठेर-04, थाना सोनकपुर-02

3-परिवार परामर्श केन्द्र/नारी उत्थान केंद्र मुरादाबाद के अथक प्रयासों से पति-पत्नी का विवादित जोड़ा आपसी कलह भुलाकर साथ रहने को हुआ सहमत।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,मुरादाबाद के कुशल निर्देशन एवं पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी कार्यालय के पर्यवेक्षण में प्रभारी नारी उत्थान केन्द्र की अध्यक्षता तथा अनुभवी परामर्श दाता डॉ0 पूनम बंसल के माध्यम से परिवार परामर्श केन्द्र / नारी उत्थान केन्द्र, पुलिस लाईन मुरादाबाद में दिनांक 03-06-2025 को पति-पत्नी सम्बन्धित पारिवारिक विवादों की काउंसलिंग के दौरान 01 प्रार्थना पत्र में दोनो पक्षों की सहमति से सुलह समझौता कराया गया। प्रार्थना पत्रों में दोनों पक्षों की पारिवारिक समस्याओं को सुनते हुए आपसी सहमति से समझौता कराया गया। दोनों पक्षों द्वारा आपस में एक-दूसरे को विश्वास दिलाया गया कि हम दोनों नवजीवन की नई शुरूआत करते हुए हसी-खुशी अपना जीवन यापन करेगें। परिवार परामर्श द्वारा जोडों को नवजीवन की शुरूआत की शुभकामनायें देते हुए समझाया गया कि बीती बातों को लेकर विवाद नही करेंगे और आपस में प्यार से रहेगें।